...पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ...हल्का/आई0एल0आर0 ...वान 2021 2021 ...बामलास

02 में खातेदार हरिसिंह पुत्र श्योनारायण ~~के स्थान पर रामसिंह~~ राजस्व ग्राम हुक्मपुरा के खाता नं0 नाम दर्ज है जो पूर्व में संवेदन से दर्ज हो गया, जिनका वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र श्योनारायण किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक ... राजस्व/2020/ ...

दिनांक - 18-10-21

मुझे ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है/ की जाती है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 18-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हुक्मपुरा	2075-78	102	हरिसिंह पुत्र श्योनारायण	रामसिंह पुत्र श्योनारा

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 144-45

दिनांक :- 18/10/2

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 10:49:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपु

Scanned with CamSca